पत्रांक–3/एम0–12/2025सा0प्र0......1329....../

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–25/06/2025

विषयः– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित है। उक्त प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही किया जा सकता है।

2. पूर्व में उक्त प्रावधान के तहत संविदा नियोजन किये जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–10681 दिनांक–16.09.2021, 11899 दिनांक–06.10.2021 एवं 20947 दिनांक–25.11.2022 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये थे। परिपत्र संख्या–20947 दिनांक–25.11.2022 द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्र 11899 दिनांक–06.10.2021 की कंडिका–6(क)(ii) एवं (iii) में संसूचित निर्णय को विलोपित किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में विहित प्रावधानों के आलोक में किसी सेवा/संवर्ग के प्रोन्नति के पदसोपानों में वेतनमान सहित उच्चतर पद का अस्थायी प्रभार दिया जा रहा है। परन्तु इस क्रम में प्रथम/द्वितीय चरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पद सुरक्षित रखे जाने से पदसोपान के उतनी संख्या में उच्चतर पद अभी भी रिक्त रह जाते हैं।

परन्तु किसी सेवा/संवर्ग के Apex पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन करने से उक्त संवर्ग के वरीय पदाधिकारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी बनती है।

4. अतः उक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी निदेशों को अवक्रमित करते हुए, निम्नवत् निर्णय लिया जाता है–

(i) संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में सचिव/विभागाध्यक्ष, राजपत्रित राज्य सेवाओं के Apex पदों अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन नहीं किया जाय।

(ii) किसी सेवा/संवर्ग के अधिकतम वेतन स्तर–11 तक के पदों की ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में विहित प्रावधान के तहत अनिवार्य रूप से रिक्त रखा जाना है, के विरुद्ध ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजन पर विचार किया जाय।

परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा संविदा नियोजन के ऐसे प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने के पूर्व संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी की उपयोगिता, दक्षता एवं उनके संविदा नियोजन के औचित्य पर निश्चित रूप से विचार किया जाय तथा प्रशासनिक हित में होने पर ही सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसित किया जाय।

(iii) मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से, राजपत्रित राज्य सेवाओं के Apex पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन पर अत्यन्त ही अपरिहार्य परिस्थितियों में विचार किया जाय।

5. अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,

24.4.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव